न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 34/2022 अपील (GCMS 2022/41)
पंजीयन दिनांक- 06/04/2022
निर्णय दिनांक- 05/03/2024

1. श्री मानाराम पिता सुखलाल डांगी, निवासी काली पहाड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. श्री नारायण उर्फ नारू पिता सुखलाल डांगी, निवासी काली पहाड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
3. श्री वक्ताराम पिता उंकारलाल डांगी, निवासी काली पहाड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
4. श्री भमरू पिता गंगाराम डांगी, निवासी काली पहाड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
5. श्री रूपलाल पिता गुलाबाचंद डांगी, निवासी काली पहाड़ी, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

-अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत वल्लभनगर, जरिये सरपंच, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती केसीबाई पुत्री स्व. कन्ना पत्नि श्री कन्ना डांगी, निवासी काली पहाड़ी हाल डांगीयो का चौराहा, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।
4. श्रीमती रूकमणी पुत्री स्व. कन्ना पत्नि खेमा डांगी, निवासी काली पहाड़ी हाल देवलिया, भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

-रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः-

1. श्री पन्नालाल मारू - अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री प्रकाश पटेल - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री भुरालाल डांगी - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
4. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक - अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्ररकण
संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 05.01.2022

<u>निर्णय</u>

दिनांक 05/03/2024

अपीलांट द्वारा यह अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 05.01.2022 के विरूद्ध दिनांक 31.03.2022 को प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दीवानी मय शपथ पत्र, प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मय शपथ पत्र एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ अपील इस न्यायालय में पेश की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 श्रीमती केशीबाई व श्रीमती रूकमणी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर में नामांतरकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 15.12.1968 विरूद्ध एक अपील रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत, वल्लभनगर एवं पटवारी हल्का, वल्लभनगर के प्रस्तुत की गई। उपरोक्त अपील पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत, वल्लभनगर एवं पटवारी हल्का, वल्लभनगर द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत करने से रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 श्रीमती केशीबाई व श्रीमती रूकमणी की अपील को अपने प्रकरण संख्या 03/2021 निर्णय दिनांक 05.01.2022 स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 15.12.1968 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, वल्लभनगर को रिमाण्ड करने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.01.2022 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है:- ***"अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत, वल्लभनगर द्वारा पारित निर्णय नामांतरकरण संख्या 599 दिनांक 15.12.1968 विधि विरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, वल्लभनगर को इन निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि श्री कन्ना पिता वाला के वारिसान की जांच कर उनके हिस्से अनुसार नामांतरण पारित करें। "***

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री पन्नालाल मारू उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश पटेल उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भुरालाल डांगी उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 27.02.2024 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि जिस व्यक्ति के नाम भूमि दर्ज है, उसे प्राकृतिक न्याय के मूल भूत सिद्धांत के आधार पर सुना जावे, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को नही सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अत्यधिक जल्दबाजी में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण एक माह भी पूरा नहीं चला है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गयी उसमें बडे ही आश्चर्यजनक रूप से हस्तगत अपील के अपीलांट्स जो कि जैर बहस आराजीयात के वर्तमान रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर अधिपत्यधारी है, उन्हें पक्षकार मुकदमा ही नही बनाया गया। नामांतरकरण के मामले में आदेश पारित करने से पूर्व कब्जे की जांच किया जाना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो इस बारे में कोई साक्ष्य ही ली गई है, न ही कोई जांच की गई है, जबकि नामांतरकरण के मामलों में कब्जा एक अहम बिन्दु है किन्तु इस हेतु कोई जांच नहीं की गई है। जबकि मौके पर नामांतरकरण में वर्णित आराजीयात पर कब्जा हस्तगत अपील के अपीलांट्स का कई वर्षो से अर्थात 54 वर्षो से निरंतर चला आ रहा है। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपने कब्जे बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 का उक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा। आश्चर्यजनक रूप से केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पर्चा मौका एवं पत्र के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को स्व. कन्ना की पुत्रियां मान लिया

गया। जबकि कन्ना का स्वर्गवास सन् 1965 अर्थात 57 वर्ष पूर्व हो चुका है, तो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा इतने पुराने समय की बात को बिना किसी पुख्ता साक्ष्य के यह कैसे मान लिया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ही स्व. कन्ना की पुत्रियां है, जबकि रेस्पोडेंट संख्या 2 द्वारा जो पर्चा मौका बनाया गया है उसमें न तो अपीलांट्स को सुना गया, न उनकी उपस्थिति में पर्चा मौका बनाया गया। जबकि विधि अनुसार इतने पुराने समय के उत्तराधिकार बाबत केवल मात्र सिविल न्यायालय में ही वाद प्रस्तुत कर साक्ष्य ली जाकर ही उत्तराधितार निर्धारित किया जा सकता है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की स्वीकारोक्ति के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को स्व. कन्ना का उत्तराधिकार मान लिया जो किसी भी स्थिति में विधि अनुसार नहीं है। तहसीलदार, वल्लभनगर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को सीधे ही पटवारी को वर्तमान रेकार्ड की जांच कर पूर्ववत स्थिति कायम करने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में यह आदेश दिया गया था कि तहसीलदार, वल्लभनगर कन्ना पिता वाला के वारिसान की जांच करें। इस हेतु तहसीलदार, वल्लभनगर के न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया जाकर इस बाबत सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिए था। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि कोई भी अपील किसी भी न्यायालय में सर्व प्रथम मयाद के बिन्दु को तय कर ही गुणावगुण पर सुनी जा सकेगी। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने आश्चर्यजनक रूप से अपील में प्रस्तुत हुई देरी को क्षमा कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 599 की अपील प्रस्तुत की गई है उस नामांतरकरण की सत्य प्रति दिनांक 03.11.2017 को ही रेस्पोडेंट को प्राप्त हो चुकी थी, जो पटवारी के रजिस्टर पी. 35 में क्रम संख्सा 149 पर दर्ज है। इसी सत्य प्रति को रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किस आधार पर यह मान लिया गया कि नामांतरकरण संख्या 599 के बारे में रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 को सर्वप्रथम ज्ञान दिनांक 11.11.2021 को हुआ। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलांट अधीनस्थ न्यायायल में पक्षकार नही होने से धारा 96 जाप्ता दीवानी अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा के आवेदन के

साथ अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः RRD 1984 Page 104, AIR 1978 SC Page 597, RRD 1984 Page 111, RRD 1992 Page 598, AIR 1993 SC Page 75, RRD 1994 Page 276, RRT 2011 (1) Page 421 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि कन्ना पिता वाला डांगी का कोई पुत्र नही था। दो पुत्रियां है व पत्नि की मृत्यु हो चुकी है। पुत्रियों के नाम केशी बाई व रूकमणी है। दोनो पुत्रियों की शादी हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 05.01.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 05.01.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत, वल्लभनगर पटवार क्षेत्र वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर के नामांतरकरण संख्या 599 को ग्राम पंचायत वल्लभनगर द्वारा दिनांक 15.12.1968 को स्वीकृत किया उक्त नामांतरकरण को विरासत से दर्ज किया था। जिसमें मृतक के वारिस हम रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 थे। परंतु हमे बीना कोई सूचना दिये उक्त नामांतरकरण स्वीकृत कर दिया गा जो विधि विरूद्ध था। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर द्वारा दिनांक 05.01.2022 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट निर्णय में पक्षकार नहीं था व पक्षकार नहीं होने के कारण उन्हें सुनवाई का अवसर

नहीं मिला अतएवं इनके द्वारा दिये गये अखण्डित शपथ-पत्र, वर्णित तथ्यों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाती है।

प्रकरण में अब हम अपीलांट्स के दफा 96 जाप्ता दीवानी के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलांट्स द्वारा अपने आवेदन में यह वर्णित किया है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं था। वादग्रस्त भूमि अपीलांट्स के खातेदारी अधिकार एवं के कब्जे काश्त की है तथा वादग्रस्त भूमि के संबंध में आदेश पारित करते समय प्रार्थी को नोटिस जारी नहीं किया गया, न ही प्रार्थी को सुना गया था। हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करते समय जो आदेश दिया है, उसमें अपीलांट्स की भूमि प्रभावित होती है, अतएवं अपीलाट्स को आवश्यक, हितबद्ध पक्षकार प्रथम दृष्टया उचित समझते हैं, तद्नुसार दफा 96 जा.दी. का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया। अब हम प्रकरण में अपील में गुणावगुण पर निर्णय पारित करना उचित समझते हैं। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 श्रीमती केशीबाई व श्रीमती रूकमणी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ग्राम पंचायत, वल्लभनगर एवं पटवारी हल्का, वल्लभनगर के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुरोध किया कि रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4/अपीलांट्स की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम काली पहाड़ी, पटवार हल्का, वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर में स्थित है, जो पूर्व में हमारे पिता कन्ना पिता वाला डांगी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित थी, जो विरासत के विवादित नामांतरकरण संख्या 599 दिनांक 15.12.1968 से सुखलाल, गंगाराम पिता वाला डांगी के नाम पर दर्ज है, जो हम रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4/अपीलांट्स के नाम शुन्य एवं निष्प्रभावी है। रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 श्रीमती केशीबाई व श्रीमती रूकमणी सजरे अनुसार मूल पुरूष वाला थे, जिसके तीन पुत्र कन्ना, गंगाराम व सुखलाल हुए। कन्ना के दो पुत्रियां केसीबाई व रूकमणी हुई जो रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4/अपीलांट्स हुई जो अपीलांट्स है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विरासत की जांच किये हुए यह नामांतरकरण स्वीकृत किया है, जो पूर्णतया एबइनिशियों वोईड है ना हि

नामांतरकरण पास करने के पूर्व कन्ना पिता वाला के सही वारिसों को सूचना दी है न कोई सजरा ही तस्दीक किया है। कन्ना पिता वाला डांगी के पुत्र संतान न होकर जायंदा पुत्रियां हम रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4/अपीलांट्स ही है। अतः नामांतरकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 15.12.1968 एवं इससे हुए राजस्व रेकार्ड में समस्त प्रकार के परिवर्तनों को खारिज कर निरस्त फरमाया जावें तथा विवादित नामांतरकरण में हमारे पिता कन्ना पिता वाला डांगी के नाम दर्ज कृषि भूमि में हम रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4/अपीलांट्स का समान हिस्से अनुसार नाम दर्ज किया जावें।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व ग्राम काली पहाड़ी, पटवार हल्का वल्लभनगर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर का नामांतरकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 15.12.1968 न्यायालय हाजा में वर्तमान अपीलांट्स के नाम स्वीकृत होकर अपीलांट्स के खाते दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार अपीलांट्स को पक्षकार ही संस्थित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विपक्षी पटवारी हल्का, वल्लभनगर द्वारा अस्पष्ट जबाब दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दिनांक 05.01.2022 को बिना किसी जांच के एवं वर्णित तथ्यों का सत्यापन किये रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4 की अपील तथा पटवारी हल्का, वल्लभनगर की रिपोर्ट अनुसार मौजा काली पहाड़ी के नामांतरकरण संख्या 599 दिनांक 15.12.1968 को निरस्त कर तहसीलदार, वल्लभनगर को प्रतिप्रेषित करने का आदेश पारित किये जाने बाबत कोई पुष्टिकारक साक्ष्य रेकर्ड पर नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय का विधिक एवं अकाट्य सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुने बिना उसके विरूद्ध निर्णय नहीं किया जा सकता।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट प्रार्थी के आवेदन पर राजस्व ग्राम काली पहाड़ी का नामांतरकरण संख्या 599 निर्णय दिनांक 15.12.1968 निरस्त कर तहसीलदार, वल्लभनगर को प्रतिप्रेषित करने आदेश दे दिया है, उसमे हम यह पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुने बिना व बिना पुष्टिकारक साक्ष्य के जो निर्णय किया है, वह तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है, अतएवं अपील अपीलांट्स स्वीकार की अधीनस्थ न्यायालय का

निर्णय दिनांक 05.01.2022 अपास्त किया जाता है तथा इसकी पालना में खोले गये नामांतरकरण को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय हाजा के उभयपक्षों को विधिवत् सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण में उभयपक्षों की साक्ष्य व जांच के बाद इस प्रकरण में एक माह में अजसरे नवनिर्णय पारित करें। उपभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 04.04.2024 को उपस्थित रहे।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर